भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2505

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्यों पर जीएसटी"

2505. **श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के कारण वास्तविक निधि लगभग 24.10 करोड़ रह गई है और इसके परिणामस्वरूप कई परियोजनाएँ अधूरी रह गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि जीएसटी लगाने के कारण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा किस हद तक प्रभावित हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि को "लोक कल्याण निधि" मानकर जीएसटी से मुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे लागू करने की समय-सीमा सहित इस संबंध में उठाए गए कदम/निर्णय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) निधि में धन का कोई भी अंतरण जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति नहीं है। हालांकि, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए निधि का उपयोग ऐसी आपूर्तियों पर लागू जीएसटी दरों के अनुसार कर योग्य है। इनपुट और सेवाओं पर भुगतान किया गया जीएसटी निष्पादन लागत का हिस्सा है और इससे प्रति सांसद प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये के एमपीएलएडीएस की पात्रता में कोई कमी नहीं आती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माननीय सांसद के लिए स्वीकृत कार्य की कुल अनुमानित लागत माननीय सांसद को उपलब्ध पात्रता से अधिक नहीं हो सकती, स्वीकृति के समय लागत अनुमानों में जीएसटी घटक को विधिवत रूप से शामिल किया जाता है।

जीएसटी लागू होने के कारण कार्यों की गुणवत्ता या समयबद्धता पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है, इसका आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, योजना के विभिन्न मापदंडों और निष्पादन का आकलन करने के लिए एमपीएलएडी योजना का एक तृतीय-पक्ष भौतिक मूल्यांकन किया गया है।

यह मूल्यांकन दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि को कवर करता है और इसे देश के 504 नोडल जिलों में आयोजित किया गया था। इस योजना को लागू करने वाले मंत्रालय को जीएसटी लागू होने के कारण एमपीएलएडीएस परियोजनाओं के पूरा न होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ): जीएसटी की दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बना एक संवैधानिक निकाय है। एमपीएलएडी निधि के अंतर्गत कार्यों के लिए छूट से संबंधित मामला दिनांक 28.06.2022 को आयोजित 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में रखा गया था। इस पर चर्चा हुई कि अंतिम उपयोग आधारित छूट उचित नहीं है। इनकी निगरानी करना कठिन है और इनके दुरुपयोग की संभावना रहती है। इसके अलावा छूट से आपूर्तिकर्ताओं के आईटीसी पर ब्लॉक हो जाएगी और लागत बढ़ जाएगी। परिषद द्वारा कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है। वर्तमान में परिषद की ओर से छूट के लिए ऐसी कोई सिफारिश नहीं है।

***